राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6)विभाग

क्रमांकः– 9(48)राज–6/18/53 जयपुर, दिनांकः– 9/7/18

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (17) रेवेन्यू–बी/ग्रुप 1 दिनांक 29.5.1963 द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को लवण उत्पादन हेतु लवण क्षेत्र घोषित किया गया था;

क्रम सं0	ग्राम	तहसील	खसरा नं0
1	जसवंतगढ़	लाडनू	314,318
2	सारगोट	नावा	599
3	कुचामन लेक	नावा	745
4	बीड छापर	सुजानगढ़	104
5	मालार रीण	फलोदी	रीण क्षेत्र (Rin area)
6	बाप रीण	फलोदी	रीण क्षेत्र (Rin area)
7	रीण पोखरन	पोखरन	रीण क्षेत्र (Rin area)
8	थाट साल्ट एरिया	पोखरन	117, 132

यतः उक्त खसरा नंम्बर में से ग्राम जसवंतगढ़ तहसील लाडनू जिला नागौर स्थित खसरा नं0 314 व 318 नया खसरा नम्बर 329 व 361 को उद्योग (ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 16(3) उद्योग/2/2017 दिनांक 14.2.2017 द्वारा आरक्षित लवण क्षेत्र घोषित किया गया था;

और यतः ग्राम जसवंतगढ़ तहसील लाडनू जिला नागौर स्थित खसरा नं0 314 व 318 नया खसरा नम्बर 329 व 361 की भूमि अब लवण उत्पादन के योग्य नही रही है;

अतः अब राज्य सरकार राजस्थान भू–राजस्व (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप–नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (17) रेवेन्यू–बी/ग्रुप 1 दिनांक 29.5.1963 को ग्राम जसवंतगढ़ तहसील लाडनू जिला नागौर स्थित खसरा नं0 314 व 318 नया खसरा नम्बर 329 व 361 की सीमा तक विखण्डित करती है। शेष अधिसूचना यथावत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. विशिष्ठ सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, चुरू।
6. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को असाधारण अंक में दिनांक .... में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. राविरा, राजस्व मण्डल अजमेर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव